<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आपराधिक प्रकरण क. 935 / 2014 संस्थित दिनांक—15.10.2014 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म०प्र०) — — — — — — <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

- प्रमोद पिता पतिदास, उम्र ४० साल,
 निवासी वार्ड नं० ६ कम्पाउंडर टोला बैहर जिला बालाघाट म.प्र.
- संजू पिता सुद्धराम, उम्र 26 साल
 निवासी वार्ड नं0 6 कम्पाउंडर टोला बैहर जिला बालाघाट म.प्र. — आरोपीगण

—<u>निर्णय</u> (<u>आज दिनांक 15.10.2014 को घोषित</u>) निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध टहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अतिम् आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 सार्व धूत अधिनियम के आरोप में दोषसिध्दि कर 100—100/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2—2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

(दो सौ - किये जावे। - स्वार्थित के किये जावे। जप्तशुदा रूपये 210 / – (दो सौ दस रूपये) राजसात किये जावे तथा

(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला-बालाघाट

ATTHER AT PORTER OF THE PARTY O